

प्रेषक,

फलेन्द्र पाल सिंह राठौर,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
प्रान्तीय रक्षक दल/विकास दल एवम्
युवा कल्याण, उत्तर प्रदेश,
लखनऊ।

युवा कल्याण अनुभाग :

दिनांक-09 अप्रैल, 2020

विषय:- वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि की वित्तीय स्वीकृति।
महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-02/दो-37/प्रा0वि0द0/2019-20, दिनांक 08 अप्रैल, 2020 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रश्नगत सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 की अनुदान संख्या-14 में प्रावधानित धनराशि, निम्न तालिका के अनुसार, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

(क) लेखाशीर्ष-“2070-अन्य प्रशासनिक सेवायें-800-अन्य व्यय-03-प्रादेशिक विकास दल”

(धनराशि लाख रुपये में)

कोड संख्या/मानक मद का नाम	वर्ष 2020-21 हेतु स्वीकृत प्रावधान	अवमुक्त दिये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि
01-वेतन	1845.00	1845.00
02-मजदूरी	15000.00	15000.00
03-महंगाई भत्ता	461.25	461.25
04-यात्रा व्यय	4.00	4.00
05-स्थानान्तरण यात्रा व्यय	2.00	2.00
06-अन्य भत्ता	2.00	2.00
07-कार्यालय व्यय	18.00	18.00
09-विद्युत देय	65.00	65.00
10-जलकर/जल प्रभार	11.00	11.00
11-लेखन सामग्री/फार्मों की छपाई	2.50	2.50
12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	2.00	2.00
13-टेलीफोन पर व्यय	0.50	0.50
15-वाहनों का अनुरक्षण एवं पेट्रोल आदि का क्रय	30.00	30.00
16-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाओं पर भुगतान	4.00	4.00
17-किराया, उपशुल्क एवं कर स्वामित्व	15.00	15.00
29-अनुरक्षण	3.00	3.00
42-अन्य व्यय	250.00	250.00
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा व्यय एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	5.00	5.00

